भारत के राजपत्र, असाधारण,
भाग **III**, खंड 4 में प्रकाशनार्थ
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019
(2019 का 7)

नई दिल्ली, 30/10/2019

फा. सं. 21-6/2019–बीएंडसीएस – केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39, जो –

(ए) भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2 खंड 3 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एसओ 44 (ई) और 45 (ई) के तहत प्रकाशित की गई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 (2017 का 1) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:–

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 7) कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (इसके पश्चात् मूल विनियमों के रूप में कहा जाएगा) के नियम 15 – (ए) के उप विनियम (1), के प्रथम परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"बशर्ते यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविज़न चैनलें के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, या पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप–विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

(बी) उप–विनयम (1) के बाद निम्नलिखित उप–विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे:
''(1ए) यदि वितरक अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और अन्य संबंधित प्रणालियों की उप–विनियम (1) की अपेक्षानुसार, वर्ष में एक बार अंकेक्षण कराने में विफल रहता है तो उन्हें इसके लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण के नियम एवं शर्तों या अधिनियम या नियमावली या आदेश या इनके तहत निर्गत निदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण के आदेश, निदेशानुसार, वित्तीय निरूत्साहन के रूप में देय तिथि के बाद, तीस दिनों तक एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और देय तिथि के बाद तीस दिनों के बाद भी चूक जारी रहने पर, दो हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगारू

बशर्तु इस उप–विनियम के तहत प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले वित्तीय निरूत्साहन की राशि किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरूत्साहन के रूप में किसी भी राशि का भुगतान करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा देखे गए विनियमों के उल्लंघन के खिलाफ वितरक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।''
;

(सी) उप विनियम (2) के प्रथम परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"बशर्ते यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और प्रत्येक प्रसारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, या पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से, इस उप–विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

3. मूल विनियमों की अनुसूची III के लिए निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः–

''अनुसूची **III**

(विनियम 10 का उप–विनियम (6) और विनियम 15 देखें)

अंकेक्षण का स्कोप और शडयूलिंग

(क) स्कोपः वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस शडयूल के अनुपालन की पुष्टि करने की अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगी।

(ख) शडयूलिंगः विनियम 15 (1) के तहत वितरक द्वारा अंकेक्षण इस तरह से शडयूल की जाएगी कि दो कैलेंडर वर्षों के अंकेक्षण के बीच कम से कम छह माह का अंतराल हो। इसके अलावा, दो कैलेंडर वर्षों के अंकेक्षण के बीच 18 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।.

एड्रेसेबल सिस्टम की अपेक्षाएं

(ग) कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस):

1. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएएस का मौजूदा संस्करण का हैकिंग का कोई इतिहास नहीं है।
   स्पष्टीकरणः इस संबंध में सीएएस वैंडर से वितरक के पास उपलब्ध लिखित घोषणा का अर्थ इस अपेक्षा का अनुपालन माना जायेगा ।
2. एसएमएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए एसएमएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।
3. सीएएस और एमएमएस में दर्ज डाटा और लॉग्स में बदलाव करना संभव नहीं होगा।
4. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि उसके द्वारा कार्यान्वित सीएएस में सीधे सीएएस टर्मिनल से सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) को एक्टीवेट और डिएक्टीवेट करने की सुविधा नहीं है। एसटीबी के सभी एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस की कमांड से किया जाएंगे।
5. एसएमएस और सीएएस को इस तरह से एकीकृत किया जाएगा कि दोनों सिस्टम में एसटीबी का एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एक साथ हों।
   स्पष्टीकरणः आवश्यक और पर्याप्त विधियां उपलब्ध होंगी ताकि एसटीबी का प्रत्येक एक्टीवेशन और डिएक्टीवेशन एसएमएस और सीएएस टर्मिनलों में जनरेट होने वाली रिपोर्टों में प्रदर्शित हों।
6. टेलीविजन चैनलों का वितरक प्रमाणित करेगा कि सीएएस में एसटीबी ओवर–द–एयर (ओटीए) अपग्रेड करने की क्षमता है ताकि जुड़े एसटीबी को हैकिंग की स्थिति में अपग्रेड किया जा सकें।
7. किसी उपकरण या सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से फिंगरप्रिंटिंग अमान्य नहीं होने चाहिए।
8. सीएएस और एसएमएस 24 घंटे के भीतर वितरकों के उपभोक्ताओं की संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत (5%) एसटीबी या सेवाओं को एक्टीवेट या डिएक्टीवेट करने में समर्थ होने चाहिए।
9. कंटेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीबी और व्यूविंग कार्ड (वीसी) को एसएमएस से युग्मित किया जाएगा।
10. सीएएस और एसएमएस चैनल बाई चैनल और एसटीबी बाई एसटीबी के आधार पर रिपोर्ट जनरेट करने के उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं को एकल रूप से एड्रेस करने में समर्थ होने चाहिए।
11. एसएमएस कंप्यूटीकृत होना चाहिए और उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और डाटा को रिकार्ड करने में समर्थ होना चाहिए जैसेः
    क. विशिष्ट ग्राहक पहचान (आईडी)
    ख. सब्सक्रिप्शन कान्ट्रेक्ट नंबर
    ग. उपभोक्ता का नाम
    घ. बिलिंग का पता
    ङ. इंस्टॉलेशन का पता
    च. लैंडलाइन टेलीफोन नंबर
    छ. मोबाइल टेलीफोन नंबर
    ज. ईमेल एड्रेस
    झ. सब्सक्राइब किए गए चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) और सेवाएं

ञ. विशिष्ट एसटीबी नंबर

ट. विशिष्ट वीसी नंबर

12. एसएमएस निम्नलिखित में समर्थ होना चाहिए:

क. एसटीबी के एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन के संबंध में ऐतिहासिक डाटा को देखना और मुद्रित करना।

ख. संस्थापित प्रत्येक एसटीबी और वीसी का पता लगाना।

ग. प्रत्येक उपभोक्ता के लिए शुल्क में बदलाव और उपभोक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के तदनुरूपी स्रोत के ऐतिहासिक डाटा को जनरेट करना।

13. एसएमएस को निम्नलिखित के संबंध में वांछित समय पर रिपोर्ट जनरेट करने में समर्थ होना चाहिए:

i. पंजीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या

ii. सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या

iii. अस्थायी रूप से निलंबित उपभोक्ताओं की कुल संख्या

iv. डिएक्टीवेट किए गए उपभोक्ताओं की कुल संख्या

v. सिस्टम में काली सूची में डाले गए एसटीबी की सूची।

vi. विनिर्धारित फार्मेट में चैनल (चैनलों), बुके (बुकों) वार मासिक उपभोक्ता रिपोर्ट।

vii. प्रत्येक बुके के भाग के रूप में शामिल चैनलों के नाम।

viii. निर्धारित समय पर चैनल या बुके विशेष के सब्सक्राइब करने वाले सक्रिय उपभोक्ताओं की कुल संख्या।

ix. उपभोक्ता द्वारा सब्सक्राइब किए गए अला–कार्टे चैनल (चैनलों) और बुके (बुकों) के नाम।

x. चैनल या बुके विशेष के शुल्क के लिए एजिंग रिपोर्ट।

14. सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए सीएएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।

15. सीएएस ऐसे वीसी नंबरों और एसटीबी नंबरों को टैग करने और काली सूची में डालने में समर्थ होगा जो विगत में पाइरेसी में शामिल रहे हैं ताकि ऐसे वीसी या एसटीबी दुबारा कार्यान्वित न किए जा सकें।

16. यह सीएएस के लॉग्स से निम्नलिखित रिपोर्टें जनरेट करने में समर्थ होगा:

क. एसटीबी–वीसी पेयरिंग/डिपेयरिंग

ख. एसटीबी एक्टीवेशन/डिएक्टीवेशन

ग. एसटीबी के लिए नियत चैनल

घ. निर्धारित अवधि के लिए चैनल विशेष के एक्टीवेशन या डिएक्टीवेशन की रिपोर्ट।

17. एसएमएस मदवार विवरण जैसे सब्सक्राइब किए गए चैनलों की संख्या, सब्सक्राइब किए गए चैनलों की रेंटल राशि, ग्राहक परिसर उपस्कर हेतु रेंटल राशि, तननुरूपी पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) की सूची और खुदरा मूल्य और कर सहित पे चैनल (चैनलों) और पे चैनलों के बुके (बुकों) के लिए प्रभार के साथ प्रत्येक उपभोक्ता के लिए बिल जनरेट करने में समर्थ होगा।

18. वितरक सुनिश्चित करेगा कि सीएएस और एसएमएस वैंडर (वैंडरों) के पास वर्षभर 24x7 आधार पर सिस्टम को मैंटेन करने की क्षमता है।

19. टेलीविजन चैनलों का वितरक चैनलों के वितरण के लिए कार्यान्वित सीएएस और एसएमएस के विवरण की घोषणा करेगा। किसी अतिरिक्त सीएएस/एसएमएस को कार्यान्वित करने के मामले में, वितरक द्वारा इसकी सूचना प्रसारकों को दी जाएगी।

20. किसी उपभोक्ता को एसएमएस से डिएक्टीवेट करने के मामले में सभी कार्यक्रम/सेवाएं उस उपभोक्ता के लिए बंद कर दी जाएंगी।

21. टेलीविजन चैनलों के वितरक को सीएएस और एसएमएस के असंपादित डाटा को कम से कम दो वर्ष के लिए संभाल कर रखना होगा।

(घ) फिंगरप्रिंटिंग:

1. टेलीविजन चैनलों का वितरक सुनिश्चित करेगा कि इसके पास नियमित अंतराल पर फिंगर प्रिंटिंग चलाने के लिए सिस्टम, प्रोसेस और कंट्रोल्स हैं।
2. एसटीबी फिंगर प्रिंटिंग के विजिबल और कवर्ट टाइप को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।
   बशर्ते इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद लगाए गए एसटीबी केवल कवर्ट फिंगर प्रिंटिंग को सपोर्ट करेंगे।
3. किसी भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर द्वारा फिंगरप्रिंटिंग को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।
4. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी के रिमोट पर किसी बटन (की) को दबाने पर विलुप्त होने वाली नहीं होनी चाहिए।
5. फिंगर प्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी सतह पर होनी चाहिए।
6. फिंगर प्रिंटिंग इस तरह होनी चाहिए कि यह विशिष्ट एसटीबी नंबर या विशिष्ट वीसी नंबर को पहचान सकें।
7. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी की सभी स्क्रीनों जैसे मेन्यू, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी), सेटिंग्स, नो कंटेंट स्क्रीन और गेम्स आदि पर प्रदर्शित होनी चाहिए।
8. फिंगरप्रिंट की लोकेशन, फॉट कलर और बैकग्राउंड कलर हेड एंड से परिवर्तनीय होना चाहिए और व्यूविंग डिवाइस पर रैंडम होना चाहिए।
9. फिंगर प्रिंटिंग विशिष्ट एसटीबी और/या वीसी की पहचान करने के लिए करेक्टरों की संख्या को बताने में समर्थ होनी चाहिए।

10. फिंगर प्रिंटिंग ग्लोबल के साथ–साथ एकल एसटीबी आधार पर संभव होनी चाहिए।
11. ओवर्ट फिंगर प्रिंटिंग टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा समय, लोकेशन, अवधि, फ्रिक्वेंसी के संबंध में किसी बदलाव में प्रदर्शित की जानी चाहिए।
12. स्क्रॉल मैसेजिंग केवल स्क्रीन के निचले भाग में उपलब्ध होनी चाहिए।
13. एसटीबी में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि फिंगर प्रिंटिंग कभी भी डिसेबल न हों।
14. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल इन्कोडर एंड में इन्सर्ट किया जाएगा।
    बशर्ते इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद, स्थापित किए गए इनकोडर्स केवल इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे।

(ड.) सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी):

1. सभी एसटीबी में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होना चाहिए।
2. एसटीबी हेड–एंड द्वारा इन्सर्ट किए गए कंडीशनल एक्सेस मैसेजों को डिक्रिप्ट करने में समर्थ होने चाहिए।
3. एसटीबी को फिंगर प्रिंटिंग करने में समर्थ होना चाहिए। एसटीबी इन्टाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज (ईसीएम) और इन्टाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम) आधारित फिंगरप्रिटिंग को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए।
4. एसटीबी एकल रूप में हेड–एंड से एड्रेसेबल होना चाहिए।
5. एसटीबी हेड–एंड से मैसेज प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।
6. मैसेज करेक्टर लंबाई कम से कम 120 करेक्टर की होगी।
7. इसमें ग्लोबल मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग और एकल एसटीबी मैसेजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. एसटीबी में फोर्स्ड फिंगर प्रिटिंग डिस्प्ले सहित फोर्स्ड मैसेजिंग की क्षमता होनी चाहिए।
9. एसटीबी को लागू भारतीय मानक ब्यूरो का अनुपालन करने वाला होना चाहिए।
10. एसटीबी ओटीए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए ओवर द एयर के लिए एड्रेसेबल होना चाहिए।
11. कार्यक्रमों को रिकार्ड करने की सुविधा वाले एसटीबी में कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए।

(सुनील कुमार गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

टिप्पणी 1––––– मूल विनियम दिनांक 3 मार्च, 2017 को अधिसूचना संख्या 21–4/2016–बीएंडसीएस के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2––––––– व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019 के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भादूविप्रा ने 4 मई, 2016 को "एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से वितरित प्रसारण टीवी सेवाओं हेतु इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श प्रक्रिया के बाद, 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकेनक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 (2017 का 1) (जिसे इसमें आगे इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 कहा गया है) की अधिसूचना जारी की गई थी।

2. अंकेक्षण नियमावली को तैयार करने के लिए किए गए परामर्श के दौरान, कुछ टिप्पणियों और प्रेक्षणों में इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के कुछ मुद्दों को उठाया गया।

3. तदनुसार, 27 अगस्त, 2019 को मसौदा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकेनक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019 (इसमें आगे जिसे मसौदा विनियम कहा गया है) जारी किए गए थे। इन मसौदा विनियमों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III में संशोधन किए गए हैं: –

i. डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रणाली
ii. सीएएस और एसएमएस प्रणाली की ट्रांजेक्शनल क्षमता
iii. फिंगरप्रिंटिंग–एसटीबी में विजिबल और कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग के लिए सपोर्ट
iv. सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो

4. हितधारकों से 9 सितंबर, 2019 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। हितधारकों के अनुरोध पर, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय सीमा 16 सितंबर, 2019 तक बढ़ाई गई थी। हितधारकों से बारह टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थीं। इसके बाद, दिल्ली में 26 सितंबर, 2019 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में हितधारकों ने भाग लिया।

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने और इन–हाउस विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019 (इसमें आगे जिसे संशोधन विनियम कहा गया है) को अंतिम रूप दिया। आगे के पैराग्राफ में संशोधन विनियम के उद्देश्यों और कारणों के बारे में बताया गया है।

अंकेक्षण का स्कोप

6. मसौदा विनियम के अनुसार, वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में इस अनुसूची के अनुपालन में अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगा।

7. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने इस खंड में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार, वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में इस अनुसूची के अनुपालन में अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगा। इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने इस खंड के लिए स्पष्टीकरण भी दिए कि इंटरकनेक्शन समझौते के प्रावधानों के साथ पठित अंकेक्षण नियमावली में दिए गए विस्तृत अंकेक्षण पद्धति/चरणों का पालन करना आवश्यक है, पैनलबद्ध अंकेक्षकों की डीपीओ या प्रसारक द्वारा कराई जाने वाली अंकेक्षण में डीपीओ की प्रणालियों के समस्त एवं अपरिवर्तित डेटा और लॉग्स तक पहुंच होगी। अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार होने और अंकेक्षकों द्वारा जारी किए जाने तक, डीपीओ द्वारा सीएएस और एसएमएस सर्वर के डेटा की किसी भी कारण से फ़िल्टरिंग नहीं की जानी चाहिए।

8. प्राधिकरण का मानना है कि स्पष्टीकरण और अन्य टिप्पणियों के रूप में प्रस्तावित मुद्दों पर अंकेक्षण नियमावली से संबंधित परामर्श प्रक्रिया में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इस खंड पर हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि वितरक द्वारा कराई जाने वाली वार्षिक अंकेक्षण में इस अनुसूची के अनुपालन में अंकेक्षण और सब्सक्रिप्शन अंकेक्षण शामिल होगी।

अंकेक्षण की शडयूलिंग

9. मसौदा अंकेक्षण नियमावली पर टिप्पणियों और चर्चा के दौरान, कई हितधारकों ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को डीपीओ के लिए अंकेक्षण की अनुसूची निर्दिष्ट करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंकेक्षण प्रभावी ढंग से और समय पर कराई गई है। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15 के खंड (1) के अनुसार, डीपीओ को वर्ष में एक बार अंकेक्षण करानी होगी। हितधारक चाहते हैं कि प्राधिकरण लेखा परीक्षकों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए अंकेक्षण अनुसूची को निर्दिष्ट करें और यह भी कि यदि सभी डीपीओ अपने सिस्टम को किसी वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंकेक्षण कराने का विकल्प चुनते हैं तो इससे गंभीर क्षमता अवरोध उत्पन्न हो जाएगा।

10. इसके विपरीत, अधिकांश डीपीओ का मानना था कि जिम्मेदार हितधारक होने के नाते, वे अपने सिस्टम का ठीक से और नियमों के अनुपालन में समयबद्ध तरीके से अंकेक्षण करवाएंगे। फ्रेमवर्क के अनुसार, वर्तमान और वैध अंकेक्षण अनुपालन बनाए रखने की जिम्मेदारी वितरकों की है। डीपीओ द्वारा की गई कोई भी चूक कई प्रसारकों के फॉलोअप और अंकेक्षण के अधीन होगी। इस प्रकार, फ्रेमवर्क में डीपीओ के साथ–साथ प्रसारकों के हित में पर्याप्त जांच और संतुलन का प्रावधान किया गया है।

11. डीपीओ द्वारा कराई गई दो अंकेक्षणों के बीच के अंतर के संबंध में एक और तर्क है। भादूविप्रा को प्राप्त टिप्पणियों में से एक यह थी कि डीपीओ के लिए लगातार दो महीनों में दो अलग–अलग कैलेंडर वर्षों की अंकेक्षण शडयूल करना संभव है। पहला वर्तमान वर्ष के दिसंबर में और दूसरा अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी में । ऐसे काल्पनिक मामलों में, वितरक की प्रणालियां 23 माह की लंबी अवधि के लिए अंकेक्षण के दायरे से बाहर रहेंगी। चूंकि नए फ्रेमवर्क के तहत विश्वास आधारित व्यवस्था बनाने में अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण आधार का काम करती है इसलिए ड्राफ्ट विनियमों में प्रावधान है कि वितरक द्वारा अंकेक्षण इस तरह से शडयूल की जाएगी कि दो वर्षों की अंकेक्षण के बीच कम से कम छह माह का अंतराल हो।

12. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, अधिकांश हितधारकों ने इस खंड को शामिल करने का समर्थन किया है। हालांकि, कुछ हितधारकों ने इस खंड में कुछ और जोड़ने का सुझाव दिया। उनके अनुसार, प्रस्तावित संशोधन की शब्दावली में भ्रमात्मक स्थिति का ध्यान रखा गया है जिसमें डीपीओ लगातार दो महीनों (पहले कैलेंडर वर्ष का दिसंबर और दूसरे कैलेंडर वर्ष का जनवरी) में अंकेक्षण कराता है। हालांकि, इसमें अन्य अवांछनीय स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है जिसमें डीपीओ पहले कैलेंडर वर्ष के जनवरी में अंकेक्षण कराता है और फिर अगले कैलेंडर वर्ष के दिसंबर में अंकेक्षण कराता है यानी दो लगातार अंकेक्षण के बीच 23 महीने का अंतर है। इन हितधारकों का मत है कि यदि इतने लंबे अंतराल को अनुमति दी जाती है तो यह राजस्व आश्वासन के संबंध में प्रसारकों के हितों के खिलाफ होगा और सुझाव दिया कि दो लगातार कैलेंडर वर्षों की अंकेक्षण के बीच 12 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

13. हितधारकों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण का मत है कि डीपीओ द्वारा कराई जाने वाली दो वार्षिक अंकेक्षण के बीच क्रमशः 6 और 18 महीने का न्यूनतम और अधिकतम अंतराल होना चाहिए। प्राधिकरण का मानना है कि लगातार दो कैलेंडर वर्षों की अंकेक्षण के बीच 18 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

14. इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने यह मुद्दा उठाया कि प्राधिकरण को ऐसे डीपीओ से निपटने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करना चाहिए जो नियामक प्रावधानों खासकर समयसीमा का पालन नहीं करते हैं। समुचित विचार के बाद, प्राधिकरण ने एक कैलेंडर वर्ष में अंकेक्षण न कराने वाले टेलीविज़न चैनलों के वितरक के लिए वित्तीय निरूत्साहन का निर्धारण किया है। एक वर्गीकृत पैमाने पर वित्तीय निरूत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। यदि नियत तारीख तक अंकेक्षण नहीं कराई जाती है, तो टेलीविजन चैनलों के वितरक पहले तीस दिनों की देरी के लिए प्रति दिन एक हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तीस दिनों से अधिक देरी के मामले में, वित्तीय निरूत्साहन बढ़ेगा और पहले तीस दिनों के बाद यह 2000 रुपये प्रतिदिन होगा। इसके अलावा, प्राधिकरण मानता है कि अधिकतम वित्तीय निरूत्साहन की एक ऊपरी सीमा होनी जरूरी है। । इसलिए, प्राधिकरण ने उल्लंघन/विलंब के लिए दो लाख रुपये (अधिकतम दो सौ हजार रुपये) की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

सीएएस और एसएमएस सिस्टम की ट्रांजेक्शनल क्षमता

15. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III की धारा ए के पैरा 8 के अनुसार, 'सीएएस और एसएमएस को 24 घंटे के भीतर वितरक के उपभोक्ता आधार के कम से कम 10 प्रतिशत के एसटीबी या सेवाओं को सक्रिय या निष्क्रिय करने में समर्थ होना चाहिए।'

16. जब की यह आवश्यकता उचित लगती है, यह कुछ बड़े डीपीओ की ओर से अनपेक्षित निवेश करता है। अधिकांश डीटीएच सेवा प्रदाताओं और शीर्ष चार से पांच एमएसओ के लिए यह मुद्दा वास्तव में चिंताजनक बन जाता है। इन ऑपरेटरों में से प्रत्येक के पास पांच मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। इसलिए, उन्होंने प्राधिकरण से इस उच्चतम सीमा की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

17. आमतौर पर, इन बड़े ऑपरेटरों को दैनिक आधार पर अपने 1 प्रतिशत से अधिक सक्रिय ग्राहकों के सक्रिय/निष्क्रिय/पुनः कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, ऑपरेटरों ने निवेदन किया है कि सक्रियण/निष्क्रियण के 10 प्रतिशत को पूरा करने के लिए उपकरण लगाने का प्रावधान करना अनुचित है।

18. हालांकि, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि वर्तमान में अधिकांश ग्राहक मासिक प्री–पेड पैकेज वाले हैं और औसतन हर ग्राहक को हर महीने एक बार भुगतान/रिचार्ज कराना आवश्यक है और महीने में एक बार एसएमएस स्तर पर कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, ऐसे हितधारकों ने तर्क दिया है कि सीएएस/एसएमएस की न्यूनतम 3.3 प्रतिशत क्षमता आवश्यक है। मसौदा विनियम में उल्लेख किया गया है कि सीएएस और एसएमएस को 24 घंटे के भीतर वितरक के कम से कम पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) ग्राहक की सेवाओं या एसटीबी को सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम होना चाहिए।

19. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने संशोधन का समर्थन किया। एक हितधारक ने कहा कि एमएसओ/डीपीओ को बिना किसी समस्या के एसटीबी को सक्रिय करने के लिए अपने सिस्टम की क्षमता बढ़ानी चाहिए। एमएसओ/डीपीओ की कम ट्रांजेक्शनल क्षमता के कारण ग्राहकों

और प्रसारकों को नुकसान होता है। एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि ग्राहक आधार सीएएस और एसएमएस की क्षमता का आकलन करने के लिए उपयुक्त मानदंड नहीं हो सकता है, और मौजूदा फ्रेमवर्क में कोई एकल ग्राहक चैनल के सक्रियण/निष्क्रियण, रिचार्ज के संदर्भ में एक से अधिक ट्रांजेक्शन जनरेट कर सकता है, इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रांजेक्शन की कुल मात्रा के संदर्भ में 5 प्रतिशत के मापदंड की समीक्षा की जानी चाहिए।

20. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सभी टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मत है कि सीएएस और एसएमएस को 24 घंटे के भीतर वितरक के कम से कम पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) ग्राहकों की सेवाओं या एसटीबी को सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम होना चाहिए।

फ़िंगरप्रिंटिंग – एसटीबी में विजिबल और कवर्ट फ़िंगरप्रिंटिंग का सपोर्ट

21. सभी एसटीबी पर विजिबल और कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग की उपलब्धता के संबंध में समस्या हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, स्थापित सभी एसटीबी दोनों प्रकार की फिंगरप्रिंटिंग मुहैया नहीं कराते हैं। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से पहले, विजिबल फिंगरप्रिंटिंग वाले एसटीबी नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए, कुछ वितरकों ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2017 से पहले स्थापित सेट–टॉप बॉक्स कवर्ट फिंगरप्रिंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम) विनियम, 2012 में इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। बीआईएस मानकों में भी विजिबल और कवर्ट, दोनों फिंगरप्रिंटिंग को अनिवार्य नहीं किया गया था।

22. कुछ वितरकों ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह उपर्युक्त विसंगितियों के दृष्टिगत इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III की समीक्षा करें। इन हितधारकों का मानना है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में निर्दिष्ट कवर्ट फिंगरप्रिंट की प्रणाली वाली अपेक्षा केवल उन सेट–टॉप बॉक्स पर लागू होनी चाहिए, जो इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के लागू होने के बाद स्थापित किए गए हैं न कि इससे पहले स्थापित बॉक्स पर । कुछ हितधारकों का यह मानना है कि एसटीबी की औसत आयु लगभग 3 वर्ष है, इसको देखते हुए, पुराने एसटीबी अगले दो वर्षों के भीतर स्वतः सेवा से बाहर हो जाएंगे।

23. विसंगति को ध्यान में रखते हुए, मसौदा विनियमों में उल्लेख किया गया है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के लागू होने के बाद, स्थापित एसटीबी के लिए केवल कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग को सपोर्ट करने की अनिवार्यता होनी चाहिए।

24. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि एक समय सीमा भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि स्थापित सभी एसटीबी 1 जुलाई, 2020 तक सभी पे चैनलों के लिए कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग को सपोर्ट करेंगे। एक हितधारक के अनुसार, कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग ग्राउंड पर चोरी का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। भादूविप्रा को डीपीओ को अपनी मौजूदा तकनीकों/एसटीबी को कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से बदलने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण करना चाहिए।

25. सभी टिप्पणियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण का मानना है कि इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद लगाए गए एसटीबी केवल कवर्ट फिंगर प्रिंटिंग को सपोर्ट करेंगे। एसटीबी के जीवन–काल को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से नेटवर्क में सभी एसटीबी विजिबल और कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग, दोनों के अनुरूप हो जाएंगे। इसलिए, इसके लिए किसी विशिष्ट विनियम को शामिल करना जरूरी नहीं है।

डीपीओ द्वारा नेटवर्क लोगो की वॉटरमार्किंग

26. डीपीओ द्वारा सभी सिग्नलस के संयोजन से पहले इनकोडर छोर पर 'वॉटरमार्किंग' लोगो अंतःस्थापित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, एक डीपीओ एसटीबी में दिए गए अपने मिडलवेयर के माध्यम से 'वाटरमार्किंग' प्रस्तुत कर सकता है।

27. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के भाग बी के पैरा 13 के अनुसार, 'सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल इनकोडर छोर पर अंतःस्थापित किया जाएगा'।

28. कई डीपीओ ने भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि 'वॉटरमार्किंग' नेटवर्क लोगो इनकोडर द्वारा भी अंतःस्थापित किया जा सकता है, केवल तब जब इनकोडर्स में यह सुविधा होगी। हालांकि, ऐसे एमएसओ द्वारा वर्तमान में स्थापित किए गए कई इनकोडर उनकी लीगेसी प्रणाली का हिस्सा हैं और इसमें वॉटरमार्किंग लोगो लगाने का प्रावधान नहीं है।

29. इस मुद्दे और लीगेसी प्रणालियों पर लागत के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, मसौदा विनियमों में उल्लेख किया गया है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के लागू होने के बाद, स्थापित इनकोडर के लिए केवल इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो का सपोर्ट करने की अनिवार्यता होनी चाहिए।

30. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि इसके लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि स्थापित सभी इनकोडर 1 जुलाई, 2020 तक इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे। एक हितधारक के अनुसार, इंडस्ट्री में ऑनलाइन चोरियां बढ़ी है। वॉटरमार्किंग लोगो की अनुपस्थिति में, चोरी की घटनाओं में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है। वॉटरमार्किंग खंड को बनाए रखने का प्रावधान होना चाहिए और वर्तमान में, बाजार में मौजूद इनकोडर को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे उन इनकोडर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, जिनमें पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग लोगो का सपोर्ट करने की सुविधा हो, ताकि चोरी पर अंकुश लगाया जा सके।

31. सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद, स्थापित किए गए इनकोडर्स केवल इनकोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे।

डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रणाली (डीआरएम)

32. डीआरएम, डिजिटल मीडिया के लिए कॉपीराइट सुरक्षा के लिए एक उचित दृष्टिकोण है। डीआरएम का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के अनधिकृत पुनर्वितरण को रोकना और उन तरीकों को पर रोक लगाना है, जिनके द्वारा उपभोक्ता खरीदी गई सामग्री को कॉपी कर सकते हैं। डीआरएम उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बेची गई सामग्री की ऑनलाइन चोरी में तेज वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था, जो सहकर्मी से सहकर्मी फ़ाइल विनिमय कार्यक्रमों के व्यापक उपयोग के माध्यम से विकसित हुआ था। आमतौर पर, डीआरएम को कोड लगाके लागू किया जाता है जो कॉपी करने से रोकता है, एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है जिसमें सामग्री को एक्सेस किया जा सकता है या मीडिया पर स्थापित किए जा सकने वाले उपकरणों की संख्या को सीमित करता है। डीआरएम प्रौद्योगिकी पहली जगह में सामग्री चोरी करने को असंभव बनाती है, यह तथ्य के बाद ऑनलाइन चोरों को पकड़ने की हिट–एंड–मिस योजनाओं की तुलना में इस समस्या के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण है।

33. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III डीआरएम आधारित प्रणालियों की अपेक्षाओं/विशिष्टियों के लिए प्रावधान नहीं करती है। प्राधिकरण को अंकेक्षण नियमावली पर अपने परामर्श के दौरान, प्रतिक्रिया मिली कि इसके लाभ के कारण आईपीटीवी आधारित डीपीओ डीआरएम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह आवश्यक है कि अंकेक्षण के दायरे में डीआरएम आधारित नेटवर्क को शामिल करें और ऐसे ऑपरेटरों को सक्षम करने के लिए प्रावधान करे। तदनुसार, मसौदा विनियमों में अनुसूची III में डीआरएम विशिष्टियां शामिल की गई थी।

34. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किए गए थे। इसलिए, प्राधिकरण का मत है कि डीआरएम के लिए सिस्टम अपेक्षाओं पर एक अलग परामर्श पत्र में विचार किया जाएगा।

अन्य मामले

35. अंकेक्षण के स्कोप और शडयूलिंग, सीएएस और एसएमएस सिस्टम की ट्रांजेक्शनल क्षमता, कवर्ट फिंगरप्रिंटिंग, वॉटरमार्किंग लोगो और डीआरएम से संबंधित मुद्दों पर इंटरकनेक्शन विनियम की अनुसूची III में प्रस्तावित संशोधनों के अलावा, प्राधिकरण को कई हितधारकों से अनुसूची III के अन्य खंडों में संशोधन के संबंध में बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। कई हितधारकों ने अनुसूची III में संशोधन के सुझाव दिए हैं। अनुसूची III में शामिल किए जाने के लिए अतिरिक्त खंडों/धाराओं के संबंध में भी सुझाव प्राप्त किए गए थे।

36. प्राधिकरण का मत है कि इनमें से अधिकांश सुझाव अंकेक्षण प्रक्रिया से संबधित हैं और अंकेक्षण नियमावली की परामर्श प्रक्रिया के दौरान लम्बी चर्चा की गई थी। इसके अलावा डीआरएम से संबधित मामलों पर अलग परामर्श प्रक्रिया की जरूरत है। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में अन्य मामलों पर बिंदूसार चर्चा की गई है।

37. इसके अतिरिक्त, दिनांक 20.09.2019 को मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से प्राप्त अभ्यावेदन, जिसमें उन्होंने ट्राई को सूचित किया है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की धारा 15 के अतंर्गत अंकेक्षण कराने में बीईसीआईएल का नाम नहीं बताया गया है, जबकि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 10 ने अंकेक्षण का संचालन करने के लिए बीईसीआईएल या ट्राई द्वारा पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से किसी से अनिवार्य किया है। बीईसीआईएल ने उल्लेख किया है कि इसको देखते हुए कई एमएसओ जो विनियम 15 के अतंर्गत अंकेक्षण को कराने में बीईसीआईएल की सेवाएँ लेना चाहते हैं, ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। बीईसीआईएल नियमित रूप से और साथ ही माननीय टीडीएसएटी द्वारा निर्देशित अंकेक्षण में ट्राई के 2004, 2009 और 2012 के पहले के इंटरकनेक्शन विनियमों के अंतर्गत तकनीकी के साथ–साथ वाणिज्यिक अंकेक्षण भी कर रहा है जिसमें कमर्शियल के साथ–साथ तकनीकी अंकेक्षण भी शामिल हैं। बीईसीआईएल ने आगे उल्लेख किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि विनियम 15 में, बीईसीआईएल के नाम का उल्लेख अनजाने में छोड़ दिया गया है। इसलिए, बीईसीआईएल ने अनुरोध किया कि 10 वर्षों से इन अंकेक्षण के संचालन में बीईसीआईएल के विशाल अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए ट्राई के सूचीबद्ध अंकेक्षकों के अलावा, उन्हें विनियम 15 के अंतर्गत वाणिज्यिक अंकेक्षण आयोजित करने के लिए भी नामांकित किया जाना चाहिए। मसौदा विनियमों पर आयोजित ओएचडी में बेसिल ने इस मुद्दे

को भी उठाया। ओएचडी के दौरान, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से परामर्श किया, और यह महसूस किया कि बीईसीआईएल का नाम विनियम 15 में शामिल किया जा सकता है।

38. तदनुसार, 3 मार्च, 2017 के इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधन किया गया है।